उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक िकास प्राधिकरण



मूपीएसआईडीए काम्पलेक्स A-1/4, लखनपुर, कानपुर पोस्ट बाक्स नं∙ 1050

कानपुर — 208024 बूरमाष : 2582851—53 (PBX)

र्षेक्स : (0512) 2580797 वेबसाइट : www.upsidc.com. ई मेल : md@upsidc.com सिन U26960UP196ISGC002834

पत्रांक

/ यूपीसीडा / स्था0

दिनांक

कार्यालय आदेश

सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अन्तर्गत वेतन निर्धारण

शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—561/दस—62 (एम)/2008 दिनांक 04.05.2010 जिसे उ0प्र0 शासन के सार्वजिनक उद्यम अनुभाग—1 के पत्रांक 860/44—1—2010 दिनांक 12.05.2010 के द्वारा निगमों पर लागू किया गया। निदेशक मण्डल की 272वीं बैठक दि0 24.12.2010 के द्वारा अनुमोदित एवं उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 5232/86—11—73/2011 दिनांक 18.07.2011 के द्वारा निगम कार्मिकों को ए०सी०पी० का लाभ शासनादेश दिनांक 04.05.2010 में निर्धारित प्रावधान के अन्तर्गत दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरान्त प्रमुख सचिव वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या वे0आ0—2773/दस—62 (एक)/2008 दिनांक 05.11.2014 के द्वारा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व में जारी शासनादेशों को अवकमित कर शासनादेश दिनांक 05.11.2014 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार ए.सी.पी. की व्यवस्था दिनांक 01.12.2008 से लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी कम में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग—4, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 474/77—4—19—274 दिनांक 08.03.2019 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को वेतन बैण्ड—2 रू0 9300—34800/— सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4600/— तक के सभी पदों के कार्मिकों को ए०सी०पी० के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य करने हेतु अधिकार प्रदान किये गये। तदोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या 1123—25/एसआईडीए/स्था0—विविध—436 दिनांक 04.08.2020 द्वारा वेतन बैण्ड—2, रू0 9300—34800/— सादृश्य ग्रेड वेतन में कार्यरत कार्मिकों को ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने हेतु सिमिति का गठन किया गया।

तत्क्रम में गठित समिति की दिनांक 29.06.2021 को सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 24.08.2021 के क्रम में श्री बी०बी० सिंह, सहायक प्रबन्धक—सिविल का दिनांक 01.12.2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू० 6600 / — में वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :—

1.	दि० 01.12.2008 को वेतन बैण्ड–3, रू० 15600–39100/– में आहरित वेतन	रू0	16880=00
2.	सादृश्य ग्रेड वेतन	रू0	5400=00
3	योग (कमांक 1+2)	रू0	22280=00
4.	कमांक-3 का 3% वेतन वृद्धि द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप	रू0	670=00
5.	दि0 01.12.2008 को वेतन बैण्ड—3, रू0 15600—39100/— एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/— में निर्धारित वेतन (क्रमांक 1 व 4 का योग)	रू0	17550=00

M

ACP office order

इस प्रकार श्री बी0बी0 सिंह, सहायक प्रबन्धक-सिविल का द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत दिनांक 01.12.2008 से वेतन रू० 17550 + ग्रेंड वेतन रू० 6600 = रू० 24150/- (मूल वेतन) निर्धारित किया जाता है तथा इनकी आगाभी वेतनवृद्धि निम्न प्रकार से देय होगी :-

वेतन वृद्धि की तिथि	वेतन वृद्धि की धनराशि (रूपये में)	वेतन बैण्ड में वेतन (रूपये में)	ग्रेड वेतन	टिप्पणी
01.07.2009	730/-	18280 / -	6600/-	and the second s
01.07.2010	750/-	19030 / -	6600 / -	_
01.07.2011	770/-	19800 / -	6600/-	_
01.07.2012	800/-	20600/-	6600/-	_
16.05.2013	820 / -	21420 / -	6600 / -	कार्यालय आदेश संख्या 1150–53 दिनांक 16.05.2013 के द्वारा श्री बी0बी0 सिंह को एक विशेष वेतनवृद्धि स्वीकृत की गयी है।
01.07.2013	840 / -	22260/-	6600/-	_
01.07.2014	870 / -	23130/-	6600/-	_
01.07.2015	900/-	24030/-	6600/-	-

उक्त वेतन निर्धारण का नकद लाभ दिनांक 10.03.2010 से देय होगा।

तत्क्रम में दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारित किये जाने सम्बन्धी गणनाचार्ट के परीक्षण श्री बी०बी० सिंह, सहायक प्रबन्धक—सिविल का सातवें वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन रू० 6600/— के तदनुरूपी अनुमन्य प्रयोज्य लेबल—11 की कोष्टिका के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :—

1.	वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल—11 में दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित मूल वेतन	रू० 80900/-
2.	दिनांक 01.07.2016 को नियमित वेतनवृद्धि के उपरान्त मूल वेतन	रू0 83300/-
3.	दिनांक 01.07.2017 को नियमित वेतनवृद्धि के उपरान्त मूल वेतन	रू० 85800 ∕ −

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री बी०बी० सिंह, सहायक प्रबन्धक—सिविल का दिनांक 09.03.2018 से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू० 7600/— के तदनुरूपी अनुमन्य प्रयोज्य लेबल—12 में वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :—

1	दिनांक 09.03.2018 को ग्रेड वेतन रू० 6600/— के तदनुरूपी प्रयोज्य लेबल 11 में	₹50 85,800 / -
	अनुमन्य वेतन	
2	शासनादेश दिनांक 13.04.2020 के अनुसार तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत दिनांक	रू० 86100 ∕ —
	09.03.2018 को प्रयोज्य लेबल-12 में अगले उच्च उपक्रम में निर्धारित मूल वेतन (दिनांक	
	09.03.2018 से 30.06.2018 तक)	
3	शासनादेश दिनांक 13.04.2020 एवं कार्मिक के विकल्प पत्र के अन्तर्गत दिनांक	रू0 88400 ∕ —
	01.07.2018 को निचले पे मैट्रिक्स प्रयोज्य लेबल 11 में अनुमन्य वेतन रू० 85,800/-	
	एवं सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि देने के पश्चात वेतन	
4	मल नियम 22-बी(1) के अनुसार कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प पत्र के अनुसार तृतीय	रू0 91100 ∕ —
	वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2018 को प्रयोज्य लेबल 11 में वेतन	
5	दिनांक 01.07.2018 को ततीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत प्रयोज्य लेबल 12 की	रू0 91400 ∕ —
	कोष्ठिका में रू० ९११०० / – की धनराशि उपलब्ध न होने पर निर्धारित मूल वेतन	

उक्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप श्री बी०बी० सिंह, सहायक प्रबन्धक—सिविल को प्रयोज्य लेवल—11 में अनुमन्य वेतन रू० 85,800/— के स्थान पर दिनांक 04.01.2018 से 30.06.2018 तक की अवधि का प्रयोज्य

*

तंबल-12 के अन्तर्गत रूठ 86100. - एवं उनके द्वारा विशे गये विकला पत्र के अनुमार तृतीय वित्तीय त्तरान्तयन के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2018 से प्रणेख्य तेबल 12 में मुन वेशन ×0.91400; कियारित किया जाता है तथा इनकी आगामी वेतन होंद्रे निमन एकार से देग होंगी

वेतन वृद्धि की तिथि	प्रयोज्य लेबल 12 में मूल वैतन
0107 2019	*0 94100 /
01 07 2020	₹0 96900 / ·
01 07 2021	₹0 99800 / =

ए०सी०पी० के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से वचनंबंध भी प्राप्त कर लिया जायें तथा ए०सी०पी० के लाभ की अविध में भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो यह आदेश निरस्त करते हुये भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की जायेगी।

उपरोक्त वेतन निर्धारण का भुगतान शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। उक्त वेतन निर्धारण में यदि कोई विसंगति संज्ञान में आती है तो तदनुसार समायोजन सम्बन्धी कार्यवाही प्रस्तुत वचनबंध के अनुरूप की जायेगी।

संदर्भ सं० 5209 - 19 /यूपीसीडा/स्था० 25.77 - 365 दिनांक 04-02-2022

ि वित्त नियंत्रक, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, मुख्यालय, कानपुर।

वरिष्ठ प्रबन्धक-सिविल, निर्माण खण्ड-3, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, गाजियाबाद।

वरिष्ठ प्रबन्धक-सिविल, निर्माण खण्ड-४, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, अलीगढ़।

वरिष्ठ प्रबन्धक–सिविल, निर्माण खण्ड–७, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, लखनऊ।

वरिष्ठ प्रबन्धक-सिविल, निर्माण खण्ड-८, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, कानपुर।

वरिष्ठ प्रबन्धक-सिविल, निर्माण खण्ड-9, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, प्रयागराज।

वरिष्ट प्रबन्धक-सिविल, निर्माण खण्ड, ट्रांस गंगा परियोजना, उन्नाव। 7.

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, आगरा।

प्रभारी(कम्प्यूटर), कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर को बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

श्री बी०बी० सिंह, सहायक प्रबन्धक-सिविल, पर्यावरण अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर। 10.

गार्ड फाइल। 11.

(

03/02/22 (नेहा जैन)